निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

संख्या 23 पटना, बुधवार, ——————

10 जून 2015 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-8
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	9-12
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	13-26

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

31 मार्च 2015

एस0ओ0 124 दिनांक 10 जून 2015—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-**846**/जे0, दिनांक **08.03.2006** के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री इन्द्रलाल यादव** जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक **08.03.2011** से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्त्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री इन्द्रलाल यादव	अधिवक्ता, नोटरी सिविल कोर्ट, बाँका	08.03.2006	बी0ए0 एल0एल0बी0	बाँका जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-17/2000/**2323**/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार। **(सक्षम प्राधिकार)**

31 मार्च 2015

एस0ओ0 125-एस0ओ0 124 दिनांक 10 जून 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-17/2000/**2323**/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार। **(सक्षम प्राधिकार)**

The **31st** March 2015

S.O. 124 dated 10th June 2015—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri **Indralal Yadav** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended)

by the State Government in Law Department Notification No. **846/J** dated **08.03.2006** to practice as notary again for the next five year from **08.03.2011.**

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Indra Lal Yadav	Advocate, Notary Civil Court Banka	08.03.2006	B.A. L.L.B	Banka District	

(File no. -A/Not-17/2000/**2323**/J)
By Order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR, *Joint Secretary -Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar.* ***(Competent Authority)***

31 मार्च 2015

एस0ओ0 126 दिनांक 10 जून 2015—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-**4181**/जे0, दिनांक **12.06.1984** के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री अमरनाथ चौबे, अधिवक्ता** जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक **12.06.2015** से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्त्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अमरनाथ चौबे	अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर	12.06.1984		मुजफ्फरपुर जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-132/82(पार्ट)/**2324**/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार। **(सक्षम प्राधिकार)**

31 मार्च 2015

एस0ओ0 127-एस0ओ0 126 दिनांक 10 जून 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-132/82(पार्ट)/**2324**/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार। **(सक्षम प्राधिकार)**

*The **31st** March 2015*

S.O. 126 dated 10th June 2015—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri **Amar Nath Choube** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **4181**/J dated **12.06.1984** to practice as notary again for the next five year from **12.06.2015**

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Amar Nath Choube	Advocate, Muzaffarpur	12.06.1984		Muzaffarpur District	

File no. -A/AB-132/82(Part)/**2324**/J)

By Order of the Governor of Bihar,

MANOJ KUMAR, *Joint Secretary -Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar.* ***(Competent Authority)***

31 मार्च 2015

एस0ओ0 128 दिनांक 10 जून 2015—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री **विजय कुमार**, नोटरी, **सिविल कोर्ट, पटना सिटी** का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-**3439** दिनांक **04.10.2001** द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट-15/2007/2322/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार। **(सक्षम प्राधिकार)**

31 मार्च 2015

एस0ओ0 129-एस0ओ0 128 दिनांक 10 जून 2015 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-15/2007/2322/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार। **(सक्षम प्राधिकार)**

*The **31st** March 2015*

S.O. 128 dated 10th June 2015—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri **Vijay Kumar** Notary Public, **Civil Court, Patna City** whose appointment had been made as notary under Law

Department's Notification memo no.**3439/J** dated **04.10.2001** from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-15/2007/**2322/J)**
By Order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR, *Joint Secretary -Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar.*
(Competent Authority)

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं
22 मई 2015

सं० 6/गो0–34–03/2015– 2257/वा0कर–श्री प्रभात किशोर शरण, वाणिज्य–कर उपायुक्त (पदस्थापन की प्रतीक्षा में), मुख्यालय बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य–कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/गो0–34–03/2015– 2258/वा0कर–श्री अशोक कुमार झा, वाणिज्य–कर उपायुक्त, वसूली कोषांग, केन्द्रीय प्रमंडल, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य–कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/गो0–34–03/2015–2259/वा0कर–श्री संजन कुमार रूंगटा, वाणिज्य–कर उपायुक्त, सोहनीपट्टी जाँच चौकी, बक्सर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य–कर उपायुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/गो0–34–03/2015–2260/वा0कर–श्री अरूण कुमार वर्णवाल, वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त, नवादा अंचल, नवादा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त, मधुबनी अंचल, मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/गो0–34–03/2015–2261 /वा0कर–श्री शिव शंकर, वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त, मधुबनी अंचल, मधुबनी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त, नवादा, अंचल, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/गो0–34–03/2015–2262 /वा0कर–श्री शिवेन कुमार, वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त, दानापुर अंचल, दानापुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/गो0–34–03/2015–2263/वा0कर–श्री यतीन कुमार सुमन, वाणिज्य–कर पदाधिकारी, जहानाबाद अंचल, जहानाबाद को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य–कर पदाधिकारी, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, अवर सचिव।

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचनाएं
6 मई 2015

सं० भा० स्था० (2) 17/2006 (खंड)–1398/प०व०—श्री बशीर अहमद खान, भा०व०से० (79) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक वेतनमान HAG+ में वैचारिक रूप से प्रोन्नति देते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक के शीर्ष वेतनमान रू० 80,000(नियत) में तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

सं0 भा0 स्था0 (2) 17/2006 (खंड)–1399/प0व0—श्री मिथिलेश कुमार भा0व0से0 (80) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वेतनमान HAG में वैचारिक रूप से प्रोन्नति देते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक HAG+ वेतनमान रू0 75,500–80,000 (@ 3% increment) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा,उप–सचिव।

———

6 मई 2015

सं0 भा0 स्था0 (2) 17/2006 (खंड)–1400/प0व0—डा0 डी0 के0 शुक्ला, भा0व0से0 (82) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वेतनमान HAG (रू0 67,000–79,000 @ 3% increment) में तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

सं0 भा0 स्था0 (2) 17/2006 (खंड)–1401/प0व0—श्री एस0 एस0 चौधरी, भा0व0से0 (84) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वेतनमान HAG (रू0 67,000–79,000 @ 3% increment) में तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

सं0 भा0 स्था0 (2) 17/2006(खंड)–1402/प0व0—श्री परशुराम राम, भा0व0से0 (84) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वेतनमान HAG (रू0 67,000–79,000 @ 3% increment) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा,उप–सचिव।

———

6 मई 2015

सं0 भा0स्था0 (2) 17/2006 (खंड)–1403/प0व0—श्री यू0 एस0 झा, भा0व0से0 (85) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन मुख्य वन संरक्षक वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे 10,000 में प्रोन्नति दी जाती है।

इन्हें प्रोन्नति का लाभ इनसे ठीक कनीय श्री बी0 एल0 चौधरी, भा0व0से0, (85) को दिनांक 06.06.2008 को मुख्य वन संरक्षक कोटि में दिये गये प्रोन्नति के फलस्वरूप उक्त पद पर पदस्थापनोंपरांत श्री चौधरी के योगदान की तिथि से देय होगा।

विभागीय अधिसूचना संख्या 392 दिनांक 06.02.2015 के आलोक में दंड के प्रभाव की अवधि (30.12.99 से अगले तीन वर्ष तक) में भुगतान की गई अधिक राशि वसूलनीय होगी।

सं0 भा0 स्था0 (2) 17/2006 (खंड)–1404 /प0व0—श्री अनिल कुमार प्रसाद, भा0व0से0 (88) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन भारतीय वन सेवा के प्रवर कोटि, वन संरक्षक कोटि में वैचारिक रूप से प्रोन्नति देते हुए मुख्य वन संरक्षक वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे 10,000 में प्रोन्नति दी जाती है।

इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

सं0 भा0 स्था0(2)17/2006 (खंड)–1405/प0व0—श्री राकेश कुमार, भा0व0से0 (91) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन वन संरक्षक वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे 8900 में प्रोन्नति देते हुए इन्हें मुख्य वन संरक्षक कोटि वेतनमान, रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे 10,000 में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति का लाभ इनसे ठीक कनीय श्री पी0 के0 गुप्ता, भा0व0से0, (92) को दिनांक 14.01.2009 को वन संरक्षक कोटि में दिये गये प्रोन्नति के फलस्वरूप उक्त पद पर पदस्थापनोंपरांत श्री गुप्ता के योगदान की तिथि से देय होगा।

विभागीय अधिसूचना संख्या 393 दिनांक 06.02.2015 के आलोक में दंड के प्रभाव की अवधि (28.08.2002 से अगले दो वर्ष तक) में भुगतान की गई अधिक राशि वसूलनीय होगी।

सं0भा0 स्था0 (2) 17/2006 (खंड)–406 /प0व0—श्री पी0 के0 गुप्ता, भा0व0से0 (92) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन मुख्य वन संरक्षक वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे 10,000 में तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा,उप–सचिव।

---

6 मई 2015

सं0भा0स्था0(2)17/2006(खंड)–1407/प0व0—श्री रविशंकर कुमार, भा0व0से0(95) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन वन संरक्षक वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे 8900 में प्रोन्नति दी जाती है।

इन्हें वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति का लाभ इनसे ठीक कनीय श्री एल0 पी0 सिंह, भा0व0से0, (96) को दिनांक 14.01.2009 को वन संरक्षक कोटि में दिये गये प्रोन्नति की तिथि से देय होगा।

सं0भा0स्था0(2)17/2006(खंड)–1408/प0व0—श्री अभय कुमार, भा0व0से0(2000) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन वन संरक्षक वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे 8900 में तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

सं0भा0स्था0(2)17/2006(खंड)–1409/प0व0—श्री सुरेन्द्र सिंह, भा0व0से0 (2001) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन प्रवर कोटि वेतनमान रू0 37,400–67,000/– ग्रेड पे 8700 में दिनांक 01.01.2014 से प्रोन्नति देते हुए वन संरक्षक वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे 8900 में प्रोन्नति दी जाती है।

इन्हें वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति का लाभ वन संरक्षक या समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

सं0भा0स्था0(2)17/2006(खंड)–1410/प0व0—श्री कुन्दन कुमार, भा0व0से0(2001) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन प्रवर कोटि वेतनमान रू0 37,400–67,000/– ग्रेड पे 8700 में दिनांक 01.01.2014 से प्रोन्नति देते हुए वन संरक्षक वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे 8900 में प्रोन्नति दी जाती है।

इन्हें वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति का लाभ वन संरक्षक या समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

सं0भा0 स्था0(2)17/2006(खंड)–1411/प0व0—श्री मनोज कुमार सिंह, भा0व0से0 (2001) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन वन संरक्षक वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे 8900 में तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

सं0भा0स्था0(2)17/2006(खंड)–1412/प0व0—श्री पी0 के0 जायसवाल, भा0व0से0 (2001) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन प्रवर कोटि वेतनमान रू0 37,400–67,000/– ग्रेड पे 8700 में दिनांक 16.02.2015 के प्रभाव से प्रोन्नति देते हुए वन संरक्षक वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे 8900 में प्रोन्नति दी जाती है।

इन्हें वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति का लाभ वन संरक्षक या समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

सं0भा0स्था0(2)17/2006(खंड)–1413/प0व0—श्री के0 के0 अकेला, भा0व0से0 (2001) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन प्रवर कोटि वेतनमान रू0 37,400–67,000/– ग्रेड पे 8700 में दिनांक 16.02.2015 के प्रभाव से प्रोन्नति देते हुए वन संरक्षक वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे 8900 में प्रोन्नति दी जाती है।

इन्हें वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति का लाभ वन संरक्षक या समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा,उप–सचिव।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 12—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

जल संसाधन विभाग

कार्यलय आदेश
24 दिसम्बर 2014

सं० 1/मु०अ०–(अनु०)–16–04/14–3639––श्री राकेश कुमार भारती, पुत्र स्वर्गीय हीरा लाल राम, ग्राम–वसरा, पोस्ट–बागर, थाना–सिकरहटा, जिला–भोजपुर (आरा) को जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना के पत्रांक–2959 स्था० दिनांक 14.11.14 क्रमांक–25 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग–3 (तीन) में नियुक्ति के अनुशंसा के आलोक में वेतन बैंड पी0वी0–1– वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन–1900 में समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त करते हुए रूपाकांण प्रमण्डल सं०–1, अनिसाबाद में पदस्थापित किया जाता है।

2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अगर इसके पूर्व इस संवर्ग में नियुक्त कोई उम्मीदवार संबंधित पदाधिकारी के अधीन है तो इसकी वरीयता उसके बाद होगी।

3. मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण का दायित्व श्री राकेश कुमार भारती पर होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गम्भीर कदाचार माना जायेगा जिसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या 13293 दिनांक 5.10.1991 के तहत नियुक्त कर्मचारी से एतत् संबंधी तथा तिलक दहेज नहीं लेने–देने का घोषणा पत्र समर्पित करना होगा।

4. यह नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि श्री राकेश कुमार भारती को दो महीने के अन्दर कम्प्यूटर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा । प्रशिक्षण के उपरान्त Successful Training Completion Certificate देना अनिवार्य होगा।

5. अगर उम्मीदवार की नियुक्ति आरक्षित कोटि के रोस्टर विन्दु पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा ।

6. नियुक्त पद पर योगदान करते समय श्री राकेश कुमार भारती की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र , जन्म तिथि से संबंधित मूल प्रमाण पत्र , प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसकी जॉच एवं समीक्षा कर लेने के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।

7. नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना से कराने के पश्चात ही वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

9. किसी तरह की गलत सूचना तथा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेने पर सेवा से विमुक्त किया जा सकता है तथा नियमानुसार अन्य समुचित कार्रवाई की जायेगी।

10. इन्हें विभाग द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेना होगा । इन्हें इसके लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

आदेश से,
हरिनारायण, मुख्य अभियन्ता ।

23 दिसम्बर 2014

सं० 1/मु०अ०–16(अनु०)–06/14–3637––श्री प्रदीप कुमार, पुत्र स्वर्गीय श्री निवास सिंह, कनीय अभियन्ता ग्राम+पोस्ट–बेलवैयॉ, थाना–दिनारा, जिला–रोहतास को जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना के पत्रांक–2959 स्था० दिनांक 14.11.14 क्रमांक–56 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग– 3 (तीन) में नियुक्ति के अनुशंसा के आलोक में वेतन बैंड पी0वी0–1– वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन–1900 में समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त करते हुए पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनिसाबाद में पदस्थापित किया जाता है।

2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अगर इसके पूर्व इस संवर्ग में नियुक्त कोई उम्मीदवार संबंधित पदाधिकारी के अधीन है तो इसकी वरीयता उसके बाद होगी।

3. मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण – पोषण का दायित्व श्री प्रदीप कुमार पर होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गम्भीर कदाचार माना जायेगा जिसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या 13293 दिनांक 5.10.1991 के तहत नियुक्त कर्मचारी से एतत् संबंधी तथा तिलक दहेज नहीं लेने–देने का घोषणा पत्र समर्पित करना होगा।

4. यह नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि श्री प्रदीप कुमार को दो महीने के अन्दर कम्प्यूटर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा । प्रशिक्षण के उपरान्त Successful Training Completion Certificate देना अनिवार्य होगा ।

5. अगर उम्मीदवार की नियुक्ति आरक्षित कोटि के रोस्टर विन्दु पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा ।

6. नियुक्त पद पर योगदान करते समय श्री प्रदीप कुमार की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र , जन्म तिथि से संबंधित मूल प्रमाण पत्र , प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसकी जॉच एवं समीक्षा कर लेने के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।

7. नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना से कराने के पश्चात ही वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

9. किसी तरह की गलत सूचना तथा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेने पर सेवा से विमुक्त किया जा सकता है तथा नियमानुसार अन्य समुचित कार्रवाई की जायेगी।

10. इन्हें विभाग द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेना होगा । इन्हें इसके लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

आदेश से,
हरिनारायण, मुख्य अभियन्ता ।

---

23 दिसम्बर 2014

सं० 1/मु०अ०–16(अनु०)–03/14–3636––श्री किशोर कुणाल, पुत्र स्वर्गीय लालती देवी, अनुसेविका ग्राम–गंजपर, पोस्ट+ थाना–राजगीर, जिला–नालन्दा, को जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, नालन्दा के पत्रांक–1356 दिनांक 30.09.14 क्रमांक–4 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग–3 (तीन) में नियुक्ति के अनुशंसा के आलोक में वेतन बैंड पी0वी0–1– वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन–1900 में समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त करते हुए जलपथ प्रमंडल, बिहारशरीफ में पदस्थापित किया जाता है ।

2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अगर इसके पूर्व इस संवर्ग में नियुक्त कोई उम्मीदवार संबंधित पदाधिकारी के अधीन है तो इसकी वरीयता उसके बाद होगी।

3. मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण – पोषण का दायित्व श्री किशोर कुणाल पर होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गम्भीर कदाचार माना जायेगा जिसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या 13293 दिनांक 5.10.1991 के तहत नियुक्त कर्मचारी से एतत् संबंधी तथा तिलक दहेज नहीं लेने–देने का घोषणा पत्र समर्पित करना होगा।

4. यह नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि श्री किशोर कुणाल को दो महीने के अन्दर कम्प्यूटर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा । प्रशिक्षण के उपरान्त Successful Training Completion Certificate देना अनिवार्य होगा ।

5. अगर उम्मीदवार की नियुक्ति आरक्षित कोटि के रोस्टर विन्दु पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा ।

6. नियुक्त पद पर योगदान करते समय श्री श्री किशोर कुणाल की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसकी जॉच एवं समीक्षा कर लेने के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।

7. नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना से कराने के पश्चात ही वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

9. किसी तरह की गलत सूचना तथा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेने पर सेवा से विमुक्त किया जा सकता है तथा नियमानुसार अन्य समुचित कार्रवाई की जायेगी।

10. इन्हें विभाग द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेना होगा । इन्हें इसके लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

आदेश से,
हरिनारायण, मुख्य अभियन्ता ।

---

24 दिसम्बर 2014

सं० 1/मु०अ०–(अनु०)–16–06/13–3640––श्रीमती तबस्सुम प्रवीण, पत्नी स्वर्गीय मकसूद आलम, पत्राचार लिपिक, ग्राम+पोस्ट–गोबासा शेखपुरा, थाना–पंडारक, जिला–पटना को जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना के पत्रांक–2959 स्था० दिनांक 14.11.14 क्रमांक–02 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग–3 (तीन) में नियुक्ति के अनुशंसा के आलोक में वेतन बैंड पी0वी0–1– वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन–1900 में समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त करते हुए बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोकामा शिविर, बख्तियारपुर में पदस्थापित किया जाता है ।

2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अगर इसके पूर्व इस संवर्ग में नियुक्त कोई उम्मीदवार संबंधित पदाधिकारी के अधीन है तो इसकी वरीयता उसके बाद होगी।

3. मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण का दायित्व श्रीमती तबस्सुम प्रवीण पर होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गम्भीर कदाचार माना जायेगा जिसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या 13293 दिनांक 5.10.1991 के तहत नियुक्त कर्मचारी से एतत् संबंधी तथा तिलक दहेज नहीं लेने–देने का घोषणा पत्र समर्पित करना होगा।

4. यह नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि श्रीमती तबस्सुम प्रवीण को दो महीने के अन्दर कम्प्यूटर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा । प्रशिक्षण के उपरान्त Successful Training Completion Certificate देना अनिवार्य होगा ।

5. अगर उम्मीदवार की नियुक्ति आरक्षित कोटि के रोस्टर विन्दु पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा ।

6. नियुक्त पद पर योगदान करते समय श्रीमती तबस्सुम प्रवीण की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र , जन्म तिथि से संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसकी जॉच एवं समीक्षा कर लेने के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।

7. नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना से कराने के पश्चात ही वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

9. किसी तरह की गलत सूचना तथा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेने पर सेवा से विमुक्त किया जा सकता है तथा नियमानुसार अन्य समुचित कार्रवाई की जायेगी।

10. इन्हें विभाग द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेना होगा । इन्हें इसके लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

आदेश से,
हरिनारायण, मुख्य अभियन्ता ।

पर्यावरण एवं वन विभाग

शुद्धि–पत्र

12 मई 2015

सं० भा०स्था०(2)–17/2006 (खण्ड)1439 प०व०—श्री रविशंकर कुमार, भा०व०से० (1995) को वन संरक्षक कोटि में दी गई प्रोन्नति संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या–1407 दिनांक 06.05.2015 में अंकित वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के लाभ की तिथि दिनांक 14.01.2009 के स्थान पर दिनांक 05.06.2014 पढ़ा जाय।

शेष यथावत रहेगा।

आदेश से,
रत्नेश झा,उप–सचिव।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

29 मई 2015

सं०1/पी0एम0सी0/विविध/955/2014-पार्ट-462–जल संसाधन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-1/पी0एम0सी0/विविध/955/2014-584 पटना, दिनांक 14/07/2014 के द्वारा कोशी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग से प्राप्त अनुशंसा पर अनुवर्ती कार्रवाई जल संसाधन विभाग द्वारा की जा रही है, जिसमें श्री सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव(प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार को उक्त जाँच समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था । श्री सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव(प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना दिनांक 30.04.2015 को सेवा निवृत हो गये हैं ।

अतः उक्त जाँच समिति के सदस्य के रूप में श्री धरणीधर प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को नामित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 12—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

26 मई 2015

सं0क0स्था0–01–मु0–41/2013–2192––बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 53वीं से 55वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के पद पर अनुशंसित श्री सुधीर कुमार चौधरी को विभागीय अधिसूचना संख्या–5864 दिनांक 28.11.2013 द्वारा नियुक्ति की गई हैं।

2. श्री चौधरी द्वारा 11 महीने से ज्यादा अनधिकृत अनुपस्थिति के बाद विभाग में दिनांक 29.12.2014 के अपराह्न में योगदान दिया गया है।

3. श्री चौधरी के उक्त योगदान को स्वीकृत करते हुए उनकी परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से विस्तारित की जाती है।

4. श्री चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

5. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री/सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
सुजाता चलाना, संयुक्त निदेशक (मु0)।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

29 अप्रील 2015

सं० 5 नि0गो0वि0 (5) 118/2012–189नि0गो0––डा0 सतीश प्रसाद, तत्कालीन निदेशक, पशुपालन, गया, संयुक्त निदेशक (पशुपालन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्राप्त परिवाद–पत्र कि वे पिछड़ी जाति के कहार जाति के हैं, किन्तु उन्होंने अनुसूचित जनजाति के खरवार जाति का फर्जी/अवैध जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त की है।

2. उक्त आलोक में विभागीय पत्रांक–586 नि0गो0 दिनांक 03.12.2005 तथा अर्द्ध सरकारी पत्रांक–25/प्र0स0 दिनांक 04.03.2008 के द्वारा जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) से डा0 प्रसाद के जाति प्रमाण की जाँच कर, जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी।

3. जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा अपने पत्रांक–998 दिनांक 19.11.2008 एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, भभुआ का ज्ञापांक–1533 दिनांक 27.10.2008 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में डा0 प्रसाद को पिछड़ी जाति के कहार जाति का बतलाया गया है।

4. उक्त आलोक में विहित प्रक्रिया अपनाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3 नि0गो0 दिनांक 20.01.2012 के द्वारा डा0 प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें निदेशक, पशुपालन को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में हीं डा0 प्रसाद दिनांक 31.12.2013 को सेवा निवृत हो गए अतएव डा0 प्रसाद के सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश ज्ञापांक–821 दिनांक 11.03.2014 के द्वारा उनके विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत संपरिवर्तित की गयी।

5. विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में डा0 प्रसाद के विरूद्ध फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर पशु चिकित्सक की शिक्षा ग्रहण करने एवं नियुक्ति में आरक्षण का लाभ लेने संबंधी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। फलतः प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–215 नि0गो0 दिनांक 07.04.2014 द्वारा डा0 प्रसाद से द्वितीय लिखित अभिकथन की माँग की गयी, डा0 प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय लिखित अभिकथन में प्रतिवेदित आरोपों का प्रतिवाद (विरोध) करते हुये यह उल्लेख किया गया कि नियुक्ति के समय उनके द्वारा समर्पित जाति प्रमाण–पत्रा के आधार पर उनकी नियुक्ति को नियमित किया गया, तो पूर्ण सेवा काल व्यतीत हो जाने के पश्चात् आरोप गठित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा आरोपों को निराधार बतलाते हुए अपने को खरबार जाति का सदस्य बतलाया गया।

6. डा0 प्रसाद से प्राप्त द्वितीय लिखित अभिकथन एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभूआ) से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन दिनांक 02.03.2014 की समीक्षा की गयी तथा पाया गया कि जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभूआ) द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक 02.03.2014 में सभी बिन्दुओं की गहन जाँच की गयी है तथा जाँचोपरान्त हीं डा0 प्रसाद को अति पिछड़ी जाति के कहार जाति का पाया गया है।

7. इस प्रकार डा0 प्रसाद से प्राप्त द्वितीय लिखित अभिकथन को अस्वीकार करते हुये राज्य सरकार द्वारा डा0 सतीश प्रसाद, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (पशुपालन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत का सेवान्त लाभ रोकने का निर्णय लिया गया।

8. उक्त आलोक में डा0 सतीश प्रसाद, संयुक्त निदेशक (पशुपालन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत का बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सेवान्त लाभ रोकने संबंधी अनुशासनिक दंड के प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य/परामर्श की माँग की गयी परन्तु आयोग द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सिर्फ पेंशन की कटौती अथवा पूर्ण पेंशन रोकना अनुमान्य है, जिस पर आयोग का परामर्श अपेक्षित है। सेवान्त लाभ के अन्य अवयवों को जब्त करने के संबंध में 43 (बी) के अन्तर्गत कोई कार्रवाई अनुमान्य नहीं की गयी है। उक्त आलोक में मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत पुनः विभागीय पत्रांक–731 नि0गो0 दिनांक 21.10.2014 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत पेंशन एवं उपादान के भुगतान पर स्थायी रोक लगाने पर आयोग का मंतव्य प्राप्त किया गया जिस पर आयोग के पत्रांक–2477 दिनांक–20.01.2015 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

9. राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय एवं आयोग से प्राप्त सहमति की समीक्षा की गयी तथा पाया गया कि डा0 प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का अंततोगत्वा निष्पादन बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अन्तर्गत हो रहा है लेकिन उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सेवा में रहते हीं प्रारम्भ हुई थी और वैधानिक अपरिहार्यता के तहत सेवाकाल में संगत नियम के अधीन आरम्भ की गयी विभागीय कार्यवाही को डा0 प्रसाद के सेवा निवृत (दिनांक 31.12.2013) के उपरांत बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) में सम्परिवर्तित किया गया है। परन्तु इस सम्परिवर्तन से डा0 प्रसाद के विरूद्ध जाली प्रमाण–पत्र के आधार पर पशु चिकित्सक के रूप में सरकारी सेवा में प्रवेश पाने के गठित आरोप की मौलिकता/उसकी मूल भावना किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं हुआ हैं।

10. फर्जी जाति प्रमाण–पत्र से संबंधित ऐसे हीं एक मामले में (आर0 विश्वनाथ पिल्लई बनाम् केरल राज्य एवं विमल घोष बनाम् केरल राज्य) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यवस्था दी गयी हैः–

Where an appointment in a service has been acquired by practicing fraud or deceit such an appoint is no appointment in law-Art.-311 is not attracted- the appointment of appellant does not hold any constitution guarantee given under Art-311- the plea of substitution of order of dismissal with the order of compulsory retirement, has no substance consequential right to retiral benefits can be given only if the appointment was valid and legal-a person who seek equity must come with clean hands- consequential right of pension and monetary benefits can be given only if appoint was valid and legal.

11. स्पष्ट हे कि फर्जी जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर प्राप्त की गई सेवा के लिए सेवान्त लाभ की देयता नहीं हो सकती है और राज्य सरकार द्वारा भी डा0 सतीश प्रसाद के मामले में ऐसा ही निर्णय लिया गया है।

12. अतः राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में डा0 सतीश प्रसाद, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (पशुपालन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार,पटना सम्प्रति सेवानिवृत का सेवान्त लाभ स्थायी रूप से रोकी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

सं० 5 नि0गो0वि0 (5) 21/2014(खंड–1)–198 नि०गो०

संकल्प

30 अप्रील 2015

डा0 राजेश कुमार चौबे, तत्कालीन पशुधन पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना सम्प्रति कनीय सहायक शोध पदाधिकारी (राज यक्ष्मा), पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना को विदेश पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में जमीन की उपलब्धता के बावजूद हरा चारा का उत्पादन नहीं कराने एवं दूध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास नहीं करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या–174–175 नि0गो0 दिनांक 20.03.2014 के द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प–226 नि0गो0 दिनांक 07.04.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. डा0 चौबे का निलंबन की अवधि 06 माह से अधिक होने के उपरांत सरकार द्वारा निलंबन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना–780 नि0गो0 दिनांक 12.11.2014 के द्वारा डा0 चौबे को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया। इस प्रकार दिनांक 20.03.2014 से 11.11.2014 तक डा0 चौबे निलंबित रहे।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में डा0 चौबे से विभागीय पत्रांक–821 नि0गो0 दिनांक 28.11.2014 के द्वारा द्वितीय लिखित अभिकथन की माँग की गयी। उक्त आलोक में डा0 चौबे द्वारा समर्पित द्वितीय लिखित अभिकथन दिनांक 10.12.2014 की समीक्षा सरकार स्तर से की गयी एवं समीक्षोपरांत डा0 चौबे को चेतावनी देते हुये विभागीय कार्यवाही को निष्पादित करने एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता को छोड़कर शेष वेतन के भुगतान करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

4. उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प–197 नि0गो0 दिनांक 30.04.2015 के द्वारा डा0 चौबे के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही चेतावनी प्रदान करते हुये समाप्त की गयी।

5. अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में डा0 राजेश कुमार चौबे, तत्कालीन पशुधन पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना सम्प्रति कनीय सहायक शोध पदाधिकारी (राज यक्ष्मा), पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना के निलंबन अवधि का वेतन उनके द्वारा लिये गये जीवन निर्वाह भत्ता का समायोजन करते हुये भुगतान करने का निदेश दिया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवश्य भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

सं० 5 नि0गो0वि0 (5) 21/2014(खंड–1))–197 नि०गो०

---

30 अप्रील 2015

डा0 राजेश कुमार चौबे, तत्कालीन पशुधन पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना सम्प्रति कनीय सहायक शोध पदाधिकारी (राज यक्ष्मा), पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना को विदेश पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में जमीन की उपलब्धता के बावजूद हरा चारा का उत्पादन नहीं कराने एवं दूध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास नहीं करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या–174–175 नि0गो0 दिनांक 20.03.2014 के द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प–226 नि0गो0 दिनांक 07.04.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अमिताभ सिंह, उपाधीक्षक, पशुगणना, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. डा0 राजेश कुमार चौबे का निलंबन की अवधि 06 माह से अधिक होने के उपरांत सरकार द्वारा निलंबन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना–780 नि0गो0 दिनांक 12.11.2014 के द्वारा डा0 चौबे को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन दिनांक 09.10.2014 के आलोक में डा0 चौबे से विभागीय पत्राांक–821 नि0गो0 दिनांक 28.11.2014 के द्वारा द्वितीय लिखित अभिकथन की माँग की गयी।

5. उक्त आलोक में डा0 चौबे द्वारा समर्पित द्वितीय लिखित अभिकथन दिनांक 10.12.2014 की समीक्षा सरकार स्तर से की गयी एवं समीक्षोपरांत डा0 चौबे को चेतावनी देते हुये विभागीय कार्यवाही निष्पादित करने का निर्णय लिया गया।

6. अतः उक्त निर्णय के आलोक में डा0 राजेश कुमार चौबे, तत्कालीन पशुधन पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना सम्प्रति कनीय सहायक शोध पदाधिकारी (राज यक्ष्मा), पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना को चेतावनी प्रदान करते हुये डा0 चौबे के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवश्य भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

सं० 5 नि0गो0वि0 (5) 21/2014–195नि०गो०

---

30 अप्रील 2015

डा0 कुमारी कनक लता, तत्कालीन प्रक्षेत्रा पशु चिकित्सा पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना सम्प्रति उप निदेशक (चारा विकास), वृहत पशु विकास परियोजना (मु. स्तर), बिहार, पटना को विदेश पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में जमीन की उपलब्धता के बावजूद हरा चारा का उत्पादन नहीं कराने एवं दूध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास नहीं करने तथा विसूखी गायों को कृत्रिम गर्भाधान नहीं कराने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या–172–173 नि0गो0 दिनांक 20.03.2014 के द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प–227 नि0गो0 दिनांक 07.04.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अमिताभ सिंह, उपाधीक्षक, पशुगणना, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. डा0 कुमारी कनक लता का निलंबन की अवधि 06 माह से अधिक होने के उपरांत सरकार द्वारा निलंबन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना–781 नि0गो0 दिनांक 12.11.2014 के द्वारा डा0 कनक लता को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन दिनांक 09.10.2014 के आलोक में डा0 कनक लता से विभागीय पत्राांक–853 नि0गो0 दिनांक–15.12.2014 के द्वारा द्वितीय लिखित अभिकथन की माँग की गयी।

5. उक्त आलोक में डा0 कनकलता द्वारा समर्पित द्वितीय लिखित अभिकथन दिनांक 30.12.2014 की समीक्षा सरकार स्तर से की गयी एवं समीक्षोपरांत डा0 कनक लता को चेतावनी देते हुये विभागीय कार्यवाही निष्पादित करने का निर्णय लिया गया।

6. अतः उक्त निर्णय के आलोक में डा0 कुमारी कनक लता, तत्कालीन प्रक्षेत्र पशु चिकित्सा पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना सम्प्रति उप निदेशक (चारा विकास), वृहत पशु विकास परियोजना (मु.स्तर), बिहार, पटना को चेतावनी प्रदान करते हुये डा0 कनक लता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवश्य भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

सं० 5 नि0गो0वि0 (5) 21/2014–196नि०गो०

---

30 अप्रील 2015

डा0 कुमारी कनक लता, तत्कालीन प्रक्षेत्रा पशु चिकित्सा पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना सम्प्रति उप निदेशक (चारा विकास), वृहत पशु विकास परियोजना (मु. स्तर) बिहार, पटना को विदेश पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में जमीन की उपलब्धता के बावजूद हरा चारा का उत्पादन नहीं कराने एवं दूध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास नहीं करने तथा विसूखी गायों को कृत्रिम गर्भाधान नहीं कराने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या–172–173 नि0गो0 दिनांक 20.03.2014 के द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प–227 नि0गो0 दिनांक 07.04.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. डा0 कनक लता का निलंबन की अवधि 06 माह से अधिक होने के उपरांत सरकार द्वारा निलंबन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना–781 नि0गो0 दिनांक 12.11.2014 के द्वारा डा0 कनकलता को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया। इस प्रकार दिनांक 20.03.2014 से 11.11.2014 तक डा0 कनकलता निलंबित रहीं।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में डा0 कनकलता से विभागीय पत्राांक–853 नि0गो0 दिनांक 15.12.2014 के द्वारा द्वितीय लिखित अभिकथन की माँग की गयी। उक्त आलोक में डा0 कनकलता द्वारा समर्पित द्वितीय लिखित अभिकथन दिनांक 30.12.2014 की समीक्षा सरकार स्तर से की गयी एवं

समीक्षोपरांत डा0 कनकलता को चेतावनी देते हुये विभागीय कार्यवाही को निष्पादित करने एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता को छोड़कर शेष वेतन के भुगतान करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

4. उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प–195 नि0गो0 दिनांक 30.04.2015 के द्वारा डा0 कनक लता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही चेतावनी प्रदान करते हुये समाप्त की गयी।

5. अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में आलोक में डा0 कुमारी कनक लता, तत्कालीन प्रक्षेत्रा पशु चिकित्सा पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना सम्प्रति उप निदेशक (चारा विकास), वृहत पशु विकास परियोजना (मु. स्तर), बिहार, पटना के निलंबन अवधि का वेतन उनके द्वारा लिये गये जीवन निर्वाह भत्ता का समायोजन करते हुये भुगतान करने का निदेश दिया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवश्य भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

सं० 5 नि0गो0वि0 (5) 21/2014–खंड–(2)–193नि०गो०

---

30 अप्रील 2015

डा0 पूनम प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन परियोजना पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना सम्प्रति क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर को विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में जमीन की उपलब्धता के बावजूद हरा चारा का उत्पादन नहीं कराने, दूध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास नहीं करने तथा विसूखी गायों को कृत्रिम गर्भाधान नहीं कराने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या–170 नि0गो0 दिनांक 20.03.2014 के द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प–232 नि0गो0 दिनांक 11.04.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अमिताभ सिंह, उपाधीक्षक, पशुगणना, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. डा0 पूनम प्रसाद सिन्हा के विरूद्ध कोई वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं रहने के कारण सरकार द्वारा निलंबन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना–618 नि0गो0 दिनांक 05.09.2014 के द्वारा डा0 सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन दिनांक 09.10.2014 के आलोक में डा0 सिन्हा से विभागीय पत्राांक–820 नि0गो0 दिनांक 28.11.2014 के द्वारा द्वितीय लिखित अभिकथन की माँग की गयी।

5. उक्त आलोक में डा0 सिन्हा द्वारा समर्पित द्वितीय लिखित अभिकथन दिनांक 10.12.2014 की समीक्षा सरकार स्तर से की गयी एवं समीक्षोपरांत डा0 सिन्हा को चेतावनी देते हुये विभागीय कार्यवाही निष्पादित करने का निर्णय लिया गया।

6. अतः उक्त निर्णय के आलोक में डा0 पूनम प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन परियोजना पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना सम्प्रति क्षेत्राीय निदेशक पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर को चेतावनी प्रदान करते हुये डा0 सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवश्य भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

सं० 5 नि0गो0वि0 (5) 21/2014 खंड–(2)–194नि०गो०

---

30 अप्रील 2015

डा0 पूनम प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन परियोजना पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना सम्प्रति क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर को विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में जमीन की उपलब्धता के बावजूद हरा चारा का उत्पादन नहीं कराने, दूध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास नहीं करने तथा विसूखी गायों को कृत्रिम गर्भाधान नहीं कराने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या–170 नि0गो0 दिनांक 20.03.2014 के द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प–232 नि0गो0 दिनांक 11.04.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. डा0 सिन्हा के विरूद्ध कोई वित्तीय अनियमितता आरोप नहीं रहने के कारण सरकार द्वारा निलंबन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना–618 नि0गो0 दिनांक 05.09.2014 के द्वारा डा0 सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया। इस प्रकार दिनांक 20.03.2014 से 04.09.2014 तक डा0 सिन्हा निलंबित रहीं।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में डा0 सिन्हा से विभागीय पत्राांक–820 नि0गो0 दिनांक 28.11.2014 के द्वारा द्वितीय लिखित अभिकथन की माँग की गयी। उक्त आलोक में डा0 सिन्हा द्वारा समर्पित द्वितीय लिखित अभिकथन दिनांक 10.12.2014 की समीक्षा सरकार स्तर से की गयी एवं समीक्षोपरांत डा0 सिन्हा को चेतावनी देते हुये विभागीय कार्यवाही को निष्पादित करने एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता को छोड़कर शेष वेतन के भुगतान करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

4. उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प–193 नि0गो0 दिनांक 30.04.2015 के द्वारा डा0 सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही चेतावनी प्रदान करते हुये समाप्त की गयी।

5. डा0 पूनम प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन परियोजना पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्रा, पटना सम्प्रति क्षेत्राीय निदेशक पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्रा, मुजफ्फरपुर के निलंबन अवधि का वेतन उनके द्वारा लिये गये जीवन निर्वाह भत्ता का समायोजन करते हुये भुगतान करने का निदेश दिया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवश्य भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

सं० 5 नि0गो0वि0 (5)100 / 2014 / 199नि०गो०

---

30 अप्रील 2015

डा0 कृष्ण कुमार मिश्रा, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत को दिनांक 04.08.2014 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रभारी सचिव, भागलपुर की अध्यक्षता में आपदा संबंधी समीक्षात्मक बैठक में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या–583 नि0गो0 दिनांक 26.08.2014 के द्वारा अधिसूचना निर्गत की तिथि से निलंबित करते हुये विभागीय संकल्प–628 नि0गो0 दिनांक 10.09.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. डा0 मिश्रा की सेवानिवृति दिनांक 31.10.2014 होने के कारण डा0 मिश्रा के निलंबन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना 376 नि0गो0 दिनांक 22.10.2014 द्वारा डा0 मिश्रा को निलंबन से मुक्त किया गया। इस प्रकार दिनांक 26.08.2014 से 21.10.2014 तक डा0 मिश्रा निलंबित रहे।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में सरकार द्वारा मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने एवं निलंबन अवधि का वेतन के भुगतान करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

4. उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प–180 नि0गो0 दिनांक 21.04.2015 के द्वारा डा0 मिश्रा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की गयी।

5. अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में डा0 कृष्ण कुमार मिश्रा, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत के निलंबन अवधि का वेतन उनके द्वारा लिये गये जीवन निवार्ह भत्ता का समायोजन करते हुए भुगतान करने का निदेश दिया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवश्य भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

सं० 5 नि0गो0वि0 (5) 100 / 2014–180 नि0गो0

---

21 अप्रील 2015

डा0 कृष्ण कुमार मिश्रा, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत को दिनांक 04.08.2014 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रभारी सचिव, भागलपुर की अध्यक्षता में आपदा संबंधी समीक्षात्मक बैठक में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या–583 नि0गो0 दिनांक 26.08.2014 के द्वारा अधिसूचना निर्गत की तिथि से निलंबित करते हुये विभागीय संकल्प–628 नि0गो0 दिनांक 10.09.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अमिताभ सिंह, उपाधीक्षक, पशुगणना, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालित विभागीय कार्यवाही के दरम्यान हीं डा0 मिश्रा की सेवानिवृति 31.10.2014 होने के कारण डा0 मिश्रा के निलंबन मामले की समीक्षा की गयी है एवं समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना 376 नि0गो0 दिनांक 22.10.2014 के द्वारा श्री मिश्रा को निलंबन मुक्त करते हुये विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आलोक में अंतिम रूप से निर्णय लिये जाने संबंधी अधिसूचना निर्गत की गयी है।

4. दिनांक 31.10.2014 को डा0 मिश्रा के सेवा निवृत हो जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश–876 नि0गो0 दिनांक 23.12.2014 के द्वारा डा0 मिश्रा के विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत समपरिवर्तित की गयी। उक्त मामले में जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्राांक–57 नि0गो0 दिनांक 29.01.2015 के द्वारा डा0 मिश्रा से द्वितीय लिखित अभिकथन की माँग की गयी।

5. उक्त आलोक में डा0 मिश्रा से प्राप्त द्वितीय लिखित अभिकथन दिनांक 16.02.2015 की समीक्षा सरकार स्तर पर की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के अधीन संचालित इस विभागीय कार्यवाही में आरोपी पदाधिकारी (डा0 कृष्ण कुमार मिश्रा) के कारण सरकार को आर्थिक क्षति की स्थिति नहीं है अतएव उक्त आलोक में डा0 मिश्रा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

6. अतः उक्त निर्णय के आलोक में डा0 कृष्ण कुमार मिश्रा, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवश्य भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उप–सचिव।

सं० कारा/नि०को०(क)–47/12–2596

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग

संकल्प

30 अप्रील 2015

श्री उमेश प्रसाद सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी सम्प्रति काराधीक्षक, मंडल कारा, शेखपुरा के विरूद्ध कुव्यवस्था, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक अदक्षता के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 3704 दिनांक 17.08.2012 द्वारा निलंबित किया गया तथा इनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 984 दिनांक 26.02.2013 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई एवं विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप निम्नवत् है :–

(i) दिनांक 28.05.2012 को श्री शिवदानी सिंह, अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी, जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं श्री विवेक कुमार भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी के नेतृत्व में जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों द्वारा मंडल कारा, सीतामढ़ी के वार्ड नं0–1 से वार्ड नं0–8 तक की सघन छापेमारी की गई। छापामारी के दौरान दो सिम सहित एवं नौ सिम रहित मोबाईल सेट, पाँच मोबाईल का चार्जर, एक मोबाईल का बैट्री, एक एफ0एम0 रेडियो एवं गाँजा का एक सीलबन्द पुड़िया तथा एक छोटी पुड़िया बरामद किया गया।

इसके पूर्व दिनांक 11.04.2011 एवं 13.09.2011 को भी मंडल कारा, सीतामढ़ी में छापेमारी की गई थी और बड़ी संख्या में मोबाईल फोन, मोबाईल चार्जर एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्रियाँ बरामद की गई थी। दिनांक 13.09.2011 को किये गये छापामारी के दौरान बड़ी संख्या में मोबाईल फोन एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्रियाँ पाये जाने के कारण भविष्य में कारा परिसर में विशिष्ट सतर्कता बरतने एवं महीने में कम–से–कम एक बार सभी वार्डो का भौतिक निरीक्षण/छानबीन करने का निदेश मौके पर ही कारा प्रशासन को दिया गया था। इसके बावजूद पुनः छापामारी में बड़ी संख्या में मोबाईल फोन एवं अन्य आपत्तिजनक सामानों के पाये जाने में आपकी संलिप्तता प्रमाणित होती है।

दिनांक 24.02.2012 को मंडल कारा, सीतामढ़ी के अन्दर बंदियों के बीच हुई मारपीट की घटना की जाँच दिनांक 25.02.2012 को अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा संयुक्त रूप से की गई। दिनांक 25.02.2012 की जाँच एवं दिनांक 28.05.2012 को छापामारी के दौरान यह बात प्रकाश में आयी कि मंडल कारा, सीतामढ़ी में बंदियों का दो गुट बन गया है, जिसके बीच बराबर तनाव रहता है। आप इसमें से एक गुट का पक्ष लेते हैं।

दिनांक 13.09.2011 को हुये छापामारी एवं दिनांक 25.02.2012 को हुई जाँच के दौरान आप जिला/अनुमंडल प्रशासन को सूचित किये बिना मुख्यालय से अनुपस्थित पाये गये।

(ii) प्रभारी अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी के पत्रांक–844 दिनांक 05.06.2012 द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 04.06.2012 को विचाराधीन बंदी मो0 शहजादे उर्फ मो0 गोरे के छत से गिरकर मृत्यु हो जाने के विरोध में कई असामाजिक

आपराधिक प्रवृत्ति के बंदियों द्वारा भूख हड़ताल पर रहने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है एवं कारा में उपद्रव मचाया जा रहा है एवं अन्य बंदियों को न्यायालय में उपस्थापन हेतु जाने से रोका जा रहा है तथा कारा की शांति व्यवस्था को भंग किया जा रहा है।

सूचना प्राप्त होने पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेलसंड ने जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ मंडल कारा, सीतामढ़ी में जाकर स्थिति का जायजा लिया। अनशन पर बैठे बंदियों से वार्ता के क्रम में बंदियों द्वारा आरोप लगाया गया कि मो0 शहजादे 2 नंबर वार्ड में छाँटने (को कह...छाँटने) के लिए उनसे नाजायज राशि की माँग की जा रही थी, जिसका वह विरोध कर रहा था और इसके खिलाफ कोर्ट में शिकायत करने की बात कर रहे थे। इससे आक्रोशित कारा प्रशासन द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने 5 नं0 वार्ड, जिसमें वह रहता था, के बरामदे पर से छलांग लगा दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बंदियों द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि मंडल कारा, सीतामढ़ी का वाहन, जिसका एम्बुलेन्स के रूप में भी उपयोग करना है, का उपयोग आपके द्वारा अपने सैर–सपाटे के लिए किया जाता था। जिस समय यह घटना हुई, उस समय भी कारा का वाहन–सह–एम्बुलेन्स आपके आवास के परिसर में बंद था और उसके गेट की चाभी नहीं थी, जिसे ताला तोड़कर निकाला गया, जिसमें काफी समय लगा और उसे उपचार हेतु सदर अस्पताल भेजने मे काफी विलम्ब हुआ। इस दौरान भी आप बिना स्वीकृति प्राप्त किये मुख्यालय से अनधिकृत रूप से बाहर पाये गये एवं इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी आप दिनांक 05.06.2012 को मुख्यालय नहीं लौटे थे।

(iii) मंडल कारा, सीतामढ़ी में महिला बंदियों के यौन उत्पीड़न के संबंध में महिला बंदी विमल सिंह द्वारा दिये गये परिवादपत्र की जाँच अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के नेतृत्व में गठित श्री सुनील कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी एवं श्रीमती रंजना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर के संयुक्त दल द्वारा की गई। उक्त जाँच दल के पत्रांक–930/रा0 दिनांक 04.07.12 द्वारा समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि यद्यपि बंदी विमल सिंह के जमानत पर रिहा हो जाने के कारण जाँच के दिन उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी तथा उनके द्वारा आपके विरूद्ध उनके यौन उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार के संबंध में लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए, किन्तु विभिन्न बंदियों के साथ आपका व्यवहार भेदभावपूर्ण पाया गया। बंदी विशेष के साथ रियायत का आरोप भी प्रमाणित हुआ। विचाराधीन बंदी प्रियंका देवी को विशेष सुविधा देने की बात भी सामने आयी। इस प्रकार जेल प्रशासक के रूप में आपकी भूमिका निर्विवाद नहीं पायी गयी।

(iv) दिनांक 03.07.2012 को मंडल कारा, सीतामढ़ी के बंदी विजय मांझी की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप अन्य कैदियों द्वारा अनशन करने एवं कोर्ट में पेशी में जाने से इंकार करने संबंधी मामले की जाँच अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के नेतृत्व में गठित श्री सुनील कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी एवं श्रीमती रंजना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर के संयुक्त जाँच दल द्वारा की गई। संयुक्त जाँच दल द्वारा पुरूष कैदी वार्ड के अंदर जाकर कैदियों से पूछताछ किया गया। जाँच दल को बताया गया कि वार्ड के अंदर का शौचालय काफी गंदा रहता है और उसमें दरवाजा, खिड़की काफी अरसे से टूटा हुआ है। पानी पीने के लिए जो चापाकल है, उसके इर्द–गिर्द शौचालय का गंदा पानी जमा रहता है, जिससे चापाकल से निकलने वाले प्रदूषित पानी की वजह से कैदियों के बीच पेट की बीमारी आम हो गयी है। कैदियों के लिए चिकित्सा की समुचित सुविधा का अभाव है और दवा के रूप में केवल पैरासीटामोल नामक दवा दे दी जाती है। जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों को मिलनेवाली सुविधा का थोड़ा सा भी भाग कैदियों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है और इस तरह मंडल कारा के सारे कैदियों को अमानवीय जिंदगी गुजारना पड़ रहा है।

कैदियों के आग्रह पर जाँच दल उस स्थल पर भी गया, जहाँ कैदियों के भोजन के बहिष्कार के फलस्वरूप बने हुए भोजन को फेंका गया था। लगभग चार बड़े डेग चावल चार स्थानों पर फेंका हुआ पाया गया। एक जगह सब्जी का ढेर भी पाया गया। इस तरह यह स्पष्ट हुआ कि वास्तव में दिनांक 03.07.2012 को कैदियों ने भोजन का बहिष्कार किया था।

कैदियों के रिश्तेदारों एवं उनसे मिलनेवाले लोगों के बारे में खुले एवं गोपनीय पूछताछ से यह बात सामने आयी कि जेल के अंदर एक गुमटी है, जहाँ रिश्तेदारों एवं मिलनेवालों से कैदियों को रियायत देने के नाम पर विशेष सुविधा शुल्क की वसूली की जाती है। यह राशि कैदियों के रिश्तेदारों एवं आगन्तुकों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस तरह रोजाना हजारों रूपये के भ्रष्टाचार का खेल जेल के अंदर होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि मोटी राशि लेकर कैदियों को मोबाईल तक पहुँचा दिया जाता है।

जाँच दल द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि कैदियों के साथ आपकी भेदभावपूर्ण नीति के कारण ही कारा के अंदर गुटबंदी का जन्म हुआ और स्थिति विस्फोटक होती गयी। जेल मैनुअल के मुताबिक कारा प्रशासन के संचालन में भी आप शिथिल बने रहे। कारा प्रशासन में भ्रष्टाचार और बदहाली के लिए आप जिम्मेवार हैं तथा आप मंडल कारा, सीतामढ़ी के सुचारू रूप से संचालन में अक्षम साबित हो रहे हैं।

(v) डा0 संजय कुमार, सामान्य चिकित्सक, मंडल कारा, सीतामढ़ी के पत्र दिनांक 07.07.2012 द्वारा मंडल कारा, सीतामढ़ी में कैदियों की चिकित्सा में व्यवधान तथा असुविधा का विस्तृत रूप से बिन्दुवार उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन समर्पित

किया गया है। उनके प्रतिवेदन में भी जेल प्रशासन की लापरवाही के फलस्वरूप कैदियों द्वारा आपत्तिजनक सामग्रियाँ यथा–गाँजा, हीरोइन इत्यादि जेल के अंदर में लाये जाने का उल्लेख किया गया है।

(vi) आपके विरूद्ध महिला बंदी शिवानी, उर्फ रेणु कुमारी द्वारा महिला वार्ड में घुसकर उनके साथ बलात्कार का प्रयास करने एवं बचाने गई महिला बंदी रेखा देवी पर चाकू से प्रहार करने के आरोपों की जाँच अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के नेतृत्व में गठित श्री सुनील कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता सीतामढ़ी एवं श्रीमती माधवी रानी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, परिहार के संयुक्त जाँच दल द्वारा की गई। यद्यपि आपके विरूद्ध परिवादी महिला बंदी शिवानी उर्फ रेणु कुमारी के साथ बलात्कार का प्रयास करने एवं महिला बंदी रेखा देवी पर चाकू से हमला करने का लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं हो सका, परन्तु सारे घटनाक्रम में आपकी अदक्षता प्रमाणित हुई। जाँच दल के समक्ष लगभग सारे कैदियों ने एक स्वर में खराब भोजन देने की शिकायत की और इसके लिए सीधे–सीधे आपको दोषी ठहराया। आपकी अदक्षता की वजह से ही मामूली घटना भी विस्फोटक बन जाती है और फिर सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र को विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। आपकी अदक्षता एवं भेदभाव की नीति तथा मंडल कारा, सीमामढ़ी की अव्यवस्था के लिए आप पूर्णतः उत्तरदायी हैं।

(vii) उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आप मंडल कारा, सीतामढ़ी में व्याप्त कुव्यवस्था, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक अदक्षता के लिए पूर्णतः जिम्मेवार हैं एवं आपका उक्त कार्यकलाप आपकी अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्यविमुखता का परिचायक है तथा आपका आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है।

विभागीय जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 04.03.2013 को आदेश पारित करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को संचालन हेतु श्री शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को हस्तांतरित कर दिया गया है। प्रधान सचिव–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त का कार्यालय, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 246 दिनांक 05.11.2014 से प्राप्त श्री शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी, श्री सिंह के विरूद्ध गठित सात (07) आरोपों में से छः (06) आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 (3) के प्रावधानों के तहत् विभागीय पत्रांक 6181 दिनांक 02.12.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई।

उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के अधिगम एवं श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री उमेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी को उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के प्रावधानों के तहत् **"तीन वेतन वृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोक"** का दंड निरूपित करने का विनिश्चय एवं उन्हें निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 984 दिनांक 13.02.2015 द्वारा श्री सिंह को निलंबन से मुक्त करते हुए निलंबन अवधि का विनियमन अलग से करने का आदेश संसूचित किया गया।

उपर्युक्त विनिश्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 420 दिनांक 16.01.2015 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गई जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तावित दंड को आनुपातिक नहीं बताते हुए अपने पत्रांक 2737 दिनांक 20.02.2015 के द्वारा असहमति व्यक्त की गई।

प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग की असहमति के सम्यक् विश्लेषणोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत् दंड का पुनः निर्धारण करते हुए श्री उमेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, सीमामढ़ी सम्प्रति काराधीक्षक, मंडल कारा, शेखपुरा के विरूद्ध निम्न दंड अधिरोपित किया जाता है :–

"आरोपित पदाधिकारी को उनके वर्त्तमान वेतनमान में एक वेतन वृद्धि कम कर के वेतन निर्धारित करते हुए एक वेतन की अवनति का दंड "।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, अपर सचिव–सह–निदेशक, प्रशासन।

सं० कारा / नि०को०(अधी०)–01–02 / 2015–2367

16 अप्रील 2015

चूँकि बिहार–राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री सत्येन्द्र कुमार, बिहार कारा सेवा, काराधीक्षक, मंडल कारा, छपरा के द्वारा अनधिकृत रूप से कारा हस्तक नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध दिनांक 15.03.2015 को मंडल कारा, छपरा में बिना अनुमति के सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर आर्केस्ट्रा कराया गया है।

श्री कुमार का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3 (1) (i) (ii) (iii) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। साथ ही उक्त कार्य कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री सत्येन्द्र कुमार, काराधीक्षक, मंडल कारा, छपरा के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत् संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा श्री जितेन्द्र कुमार, अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव में माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, अपर सचिव–सह–निदेशक, प्रशासन।

सं०–कारा / नि०को०02 / 2013–3147

26 मई 2015

श्रीमती ईला इसर, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध जनता के दरबार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में दिनांक 08.04.2013 को मंडल कारा, हाजीपुर के संसीमित बंदी रामाधार सिंह के परिजन द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित अभ्यावेदन में हाजीपुर मंडल कारा, प्रशासन के विरूद्ध लगाये गये कतिपय आरोपों की जाँच तत्कालीन कारा महानिरीक्षक द्वारा की गई। जाँचोंपरान्त गंभीर अनियमितता पाये जाने पर श्रीमती इसर को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2040 दिनांक 17.04.2013 द्वारा निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना निर्धारित किया गया है।

2. श्रीमती इसर के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2122 दिनांक 22.04. 2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया है।

3. **श्रीमती इसर के विरूद्ध गठित आरोप निम्नवत् है :–**

(i) कारा के पाकशाला में सभी बंदियों का खाना नहीं बनता है एवं आधे से भी अधिक बंदियों का खाना प्राईवेट चूल्हे पर बनाया जाता है, जिसके एवज में अवैध राशि की वसूली की जाती है। जाँच में यह भी पाया गया कि कारा में सामान्य रसोई घर में खाना एल0पी0जी0 गैस पर बनता है एवं कोयला का क्रय मात्र कारा अस्पताल के लिए किया जाता है। सम्भवतः इसलिए कोयला को बंदियों के द्वारा अलग से खाना बनाने के लिए व्यवस्था की जाती है तथा अवैध रूप से बड़ी मात्रा में बाहर से कोयला मंगाया जाता है। इस प्रकार इन्होंने अवैध कार्यों का संचालन होने दिया जो सरकारी प्रावधानों एवं कारा हस्तक नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

(ii) आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध दूसरा आरोप यह है कि अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर के रूप में जुलाई 2010 से पदस्थापित है, किन्तु न तो वर्ष 2011 का और न ही 2012 का महानिरीक्षक परिहार के लिए प्रस्ताव भेज गया है। इन वर्षों का परिहार नहीं भेजने के कारण के बारे में अधीक्षक कोई उत्तर नहीं दे पाई। यह अत्यन्त गंभीर मामला है, इसमें स्पष्टतः लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता प्रतीत होती है, जिसके कारण कारा के सजावार बंदियों को अपने वाजिब हक से वंचित रहना पड़ा है।

(iii) आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध तीसरा आरोप यह है कि जाँच में यह पाया कि बंदी अपने घर से जो पैसा मंगाते हैं, उसमें प्रति सैकड़ा 10/– रूपये जेल प्रशासन के द्वारा काटकर भीतर दिया जाता है एवं उसके बाद भीतर में भी कारा प्रशासन द्वारा प्रति सैकड़ा 10/– कारा गेट में काटकर संबंधित बंदी को दिया जाता है। इस प्रकार मंडल कारा, हाजीपुर का अधीक्षक होने के नाते इनके द्वारा भ्रष्टाचार एवं कदाचार को बढ़ावा दिया गया।

(iv) गेट रजिस्टर में अधीक्षक के कारा से बाहर निकलने की प्रविष्टि समयानुसार नहीं की जाती है एवं उसका संधारण अपने सुविधानुसार कराया जाता है, जो गलत है।

(v) कारा अस्पताल में 18 ऐसे बंदी संसीमित थे, जिन्हें कोई बीमारी नहीं थी, किन्तु वे काफी लम्बी अवधि से अस्पताल में ही रह रहे थे, जो पूर्णतः अवैध एवं गलत है। इस प्रकार इनके द्वारा लम्बे समय से इस प्रकार की कुव्यवस्था तथा अनियमितता बरती जा रही थी, जो स्पष्ट रूप से इनकी कर्त्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

(vi) कई ऐसे बंदी थे, जिनके पैसे की निकासी कर एक साल से अधिक समय से कारा में रखा गया है, किन्तु उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है। यह न सिर्फ गंभीर चिन्ताजनक एवं अनियमित है, बल्कि इससे अवैध राशि की मांग की संभावना परिलक्षित होती है।

(vii) कारा के भीतर कुल 59 सजावार बंदी संसीमित पाए गए, उनमें से मात्र 27 सजावार बंदियों का इतिवृत्ति पत्रक संधारित पाया गया। कई बंदियों का History ticket नहीं खोला गया जो गलत एवं अनियमित है।

4. विभागीय जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 29.04.2013 को आदेश पारित करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को संचालन हेतु अपर सदस्य–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को हस्तांतरित कर दिया गया है। अपर सदस्य, राजस्व पर्षद का कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक 188/गो0 (अनु0) दिनांक 26.09.2014 से प्राप्त श्री अतुल प्रसाद, अपर सदस्य–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी, श्रीमती इसर के विरूद्ध गठित सात (07) आरोपों में से छः (06) आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 (3) के प्रावधानों के तहत् विभागीय पत्रांक 5641 दिनांक 03.11.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्रीमती इसर से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपित के विरूद्ध गठित आरोप, उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी का अधिगम, आरोपित का द्वितीय कारण पृच्छा जवाब तथा संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के समीक्षोपरांत आरोपवार स्थिति निम्नवत् है :–

(i) श्रीमती इसर के विरूद्ध गठित पहला आरोप संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं पाया गया है।

(ii) इनके विरूद्ध गठित दूसरा आरोप संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया है, जो मुख्यतः परिहार का प्रस्ताव नहीं भेजे जाने से संबंधित है। इस संदर्भ में आरोपित द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा जवाब में उल्लेख किया गया है कि परिहार सम्बन्धी आरोप अभिलेख एवं साक्ष्य आधारित है। उक्त अभिलेख, साक्ष्य एवं संबंधित कारा हस्तक नियम की एक प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में उनके पदस्थापन से पूर्व वर्ष 2009–10 के विशेष परिहार प्रस्ताव एवं उससे संबंधित स्वीकृति की एक प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। आरोपित ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में उल्लेख किया है कि परिहार के संबंध में उनका स्पष्टीकरण जिमत जीवनहीज पर आधारित नहीं है तथा वस्तुतः सामान्य परिहार बंदियों के अच्छे कर्त्तव्य एवं आचरण के लिए उपाधीक्षक/सहायक अधीक्षक की अनुशंसा पर अधीक्षक द्वारा स्वीकृत किया जाता है, जबकि महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ का परिहार बंदियों के द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। यदि बन्दी विशिष्ट परिहार के योग्य होते तो इसकी प्रविष्टि इनके पूर्व पदस्थापित अधीक्षक द्वारा एवं इनके द्वारा कारा अभिलेख में सत्यापित की जाती जबकि इस प्रकार की कोई प्रविष्टि कारा अभिलेख में नहीं है। साथ ही आरोपित ने उल्लेख किया है कि स्पष्टतः इस मामले में उनके द्वारा किसी नियम का उल्लंघन, लापरवाही या स्वेच्छाचारिता नहीं की गई है।

लेकिन श्रीमती इसर के द्वारा परिहार के संदर्भ में जिन अभिलेखों की माँग की गई है, इसकी माँग उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही की सुनवाई के दौरान की जानी चाहिए थी न कि संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात्। साथ ही बंदियों को परिहार दिये जाने के संदर्भ में उनके द्वारा जो तर्क दिये गये है वह मान्य नहीं है।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती इसर द्वारा अपने मंडल कारा, हाजीपुर में अधीक्षक के रूप में जुलाई 2010 में पदस्थापन के बाद वर्ष 2011 एवं वर्ष 2012 के लिए महानिरीक्षक परिहार का प्रस्ताव नहीं भेजा गया। इन वर्षों का परिहार नहीं भेजने के संबंध में भी श्रीमती इसर द्वारा कोई कारण नहीं बतलाया गया। इस प्रकार यह आरोपित की लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

(iii) श्रीमती इसर पर तीसरा आरोप बंदी के घर से आने वाले पैसों में से प्रति सैकड़ा दस रूपया काट कर बंदी को दिये जाने का है। इस प्रकार यह आरोप, आरोपित पर भ्रष्टाचार एवं कदाचार को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस संदर्भ में

श्रीमती इसर द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा जवाब में इसे तथ्यहीन एवं दुर्भावना से ग्रसित बताते हुए इसका खंडन किया गया है। लेकिन इस संदर्भ में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

वस्तुतः आरोप संख्या–3 जिसमें बंदियों के घर से आने वाला पैसा में से प्रति सैकड़ा दस रूपया जेल प्रशासन के द्वारा काटकर संबंधित बंदी को दिया जाता था, की बात को सभी बंदियों द्वारा एक स्वर में स्वीकार किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने अधिगम में उल्लेख किया गया है कि ऐसे मामलों में रंगे हाथों यदि आरोपित पकड़ा नहीं जाय तो कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में सभी बंदियों का एक स्वर में शिकायत करना इस आरोप को मजबूत आधार देता है, यह कृत स्पष्ट करता है कि मंडल कारा में भ्रष्टाचार एवं कदाचार व्याप्त थी। श्रीमती इसर को काराधीक्षक होने के नाते इस पर अंकुश लगाये जाना चाहिए था लेकिन इसमें वे विफल रहीं। इस प्रकार यह एक गंभीर कदाचार एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का घोर उल्लंघन है। इस संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में इस आरोप को preponderance of evidence के आधार पर प्रमाणित पाया गया है। **अतः इस बिन्दु पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमति व्यक्त की जाती है।**

(iv) आरोपित पदाधिकारी पर चौथा आरोप कारा के बाहर जाने पर पंजी प्रविष्टि समयानुसार नहीं कर अपनी सुविधानुसार उसका संघारण कराया जाता था, से संबंधित है। इस संदर्भ में आरोपित द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा जवाब में उल्लेख किया गया है कि मंडल कारा, हाजीपुर के मुख्य द्वार एवं आन्तरिक द्वार पर लगे सी0सी0टी0भी0 कैमरा जिसमें सभी प्रविष्टियाँ तिथि एवं समय के साथ अंकित होती थी, के आधार पर इस आरोप का उनके द्वारा खंडन किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि गेट वार्डर द्वारा भूलवश इस तरह की अंकन की त्रुटि हुई थी जिसके लिए उसे चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन इस संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही की सुनवाई के दौरान संचालन पदाधिकारी को ऐसा कोई तर्क या साक्ष्य नहीं दिया गया जिससे इस आरोप का खंडन हो सकें। **इस प्रकार श्रीमती इसर पर गेट पंजी में प्रविष्टि अपनी सुविधानुसार कराये जाने का आरोप स्वतः प्रमाणित हो जाता है। इस संदर्भ में इनके द्वारा ऐसा कोई अभिलेख या साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है ताकि इस आरोप का खंडन हो सके। अतः संचालन पदाधिकारी के अधिगम से सहमति व्यक्त की जाती है।**

(v) आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित पाँचवा आरोप कारा अस्पताल में 18 ऐसे संसीमित बंदी थे जिन्हें कोई बीमारी नहीं थी। इस प्रकार स्वस्थ बंदी को कारा अस्पताल में रखा जाना इनकी कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का आरोप गठित है। इस संदर्भ में इनके द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा जवाब में उल्लेख किया गया है कि विभागीय जाँच के निष्कर्ष में इस आरोप को कार्यालय अभिलेख एवं अन्य सुसंगत कागजातों, बयानों पर आधारित बताया गया है। अतः निवेदन है कि उन कागजातों, बयानों एवं अभिलेखों की एक प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि इन्हें किसी भी अभिलेख की आवश्यकता होती तो उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान संचालन पदाधिकारी से किया जाना चाहिए था, न कि जाँच प्रतिवेदन समर्पित होने के पश्चात्। इस प्रकार उनका द्वितीय कारण पृच्छा जवाब स्वीकार योग्य नहीं है।

उल्लेखनीय है कि कारा अस्पताल में ऐसे 18 बंदी काफी लम्बी अवधि से संसीमित थे जिन्हें कोई बीमारी नहीं थी। इस प्रकार बिना बीमारी का कारा अस्पताल में बंदी को रखना पूर्णतः अवैध एवं गलत है। मूलतः श्रीमती इसर द्वारा इस प्रकार की कुव्यवस्था एवं अनियमितता का प्रश्रय काफी दिनो से दी जा रही थी। **श्रीमती इसर का अधीक्षक होने के नाते यह कर्त्तव्य था कि कारा अस्पताल के प्रावधानों का कोई दुरूपयोग नहीं हो। लेकिन इस संदर्भ में श्रीमती इसर पूर्णतः विफल रही हैं।**

(Vi एवं Vii) आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–6 एवं 7 जो क्रमशः बंदी के पैसे की निकासी का एक साल से अधिक समय तक कारा में रखा जाना, पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करना किसी वित्तीय अनियमितता को इंगित करता है। साथ ही सजावार बंदियों का हिस्ट्री टिकट नहीं खोला जाना उनकी लापरवाही एवं अनियमित कार्य पद्धति का द्योतक है। **इन आरोपों के संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा जवाब में स्वयं स्वीकार की गई है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2012–13 की बंदी पारिश्रमिक के भुगतान में विलंब हुआ है, जिसका एक मात्र कारण कतिपय बंदियों का पासबुक उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। अतः स्पष्ट है कि इसके लिए अधीक्षक, श्रीमती इसर स्वयं दोषी है। इसी तरह सजावार बंदियों का हिस्ट्री टिकट नहीं खोला जाना उनकी लापरवाही का द्योतक है।**

6. उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के अधिगम एवं श्रीमती इसर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती ईला इसर, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर सम्प्रति निलंबित को उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के प्रावधानों के तहत् **''दो वेतन वृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोक''** का दंड निरूपित करने का विनिश्चय एवं उन्हें निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त विनिश्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 422 दिनांक 16.01.2015 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गई जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्रांक 444 दिनांक 13.05.2015 के द्वारा प्रस्तावित दंड से सहमति व्यक्त की गई है।

प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक् विश्लेषणोपरांत श्रीमती ईला इसर, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत् निम्न दंड अधिरोपित करते हुए उन्हें निलंबन से मुक्त किया जाता है :–

''दो वेतन वृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोक''

7. निलंबन अवधि के संबंध में श्रीमती इसर को नोटिस देकर अलग से निर्णय संसूचित किया जायेगा।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, अपर सचिव–सह–निदेशक, प्रशासन।

सं०–कारा / नि०को०(क)–57 / 11–2452

---

21 अप्रील 2015

चूँकि बिहार–राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री रमेश चन्द्र जायसवाल, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा दिनांक 10.09.2011 को कारा में छापेमारी की कार्रवाई नहीं करने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेतिया सदर को रिश्वत देने का प्रयास किया गया, जिसके लिए इनके विरूद्ध बेतिया नगर थाना कांड संख्या 444 / 11 दर्ज कराया गया तथा इन्हें उपकारा, बगहा में संसीमित किया गया एवं उक्त घटना के पूर्व भी स्थानीय प्रशासन द्वारा समय–समय पर कारा में छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित सामग्रियों यथा मोबाईल, सिम, चार्जर एवं रूपये बरामद हुए है।

श्री जायसवाल का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3 (1) (i) (ii) (iii) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। साथ ही उक्त कार्य इनकी अनुशासनहीनता, लापरवाही, कर्त्तव्योपेक्षा एवं कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री रमेश चन्द्र जायसवाल, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत् संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा श्री जितेन्द्र कुमार, अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री जायसवाल से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव में माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, अपर सचिव–सह–निदेशक, प्रशासन।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
20 जनवरी 2015

सं० कौन / भी–133 / 93–16––श्री इकबाल अहमद जमशेद तत्कालीन वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त सम्प्रति सेवानिवृत्ति (दिनांक 31.10.07) के विरुद्ध उनके सासाराम अंचल, सासाराम के पदस्थापनकाल में स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, भ्रष्ट आचरण एवं कार्य के प्रति उदासीनता आदि गंभीर अनियमितताओं के कारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–3448, दिनांक 02.12.06 के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–437, दिनांक 10.12.07 द्वारा विभागीय कार्यवाही घटना की जानकारी होने की तिथि से चार वर्ष की गणना करते हुए संचालित की गई थी ।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1893, दिनांक 14.06.2011 में पूर्व में निर्गत पत्रांक 3448 दिनांक 02.12.06 की कंडिका 3 (vi) में दिया गया है अनुदेश तुरत के प्रभाव से अवक्रमित करने हुए मामले की व्याख्या इस प्रकार की गई है–

माननीय पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० नं०–12943/09 (उर्मिला शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 10.05.2010 को पारित आदेश के तहत स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी गयी है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अंतर्गत चार वर्षों की गणना, घटना की तिथि से होगी, न कि घटना की जानकारी की तिथि से; अतः कदाचार का आरोप जिस घटना से संबंधित है वह अगर कार्यवाही संस्थित करने की तिथि से चार वर्ष से पहले का है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चल सकती हैं, क्योंकि ऐसा आरोप कालबाधित की श्रेणी में आयेगा ।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना का उपर्युक्त पत्र के आलोक में अपर विभागीय जांच आयुक्त के पत्रांक–168, दिनांक 27.06.2013 द्वारा प्रशासी विभाग से मंतव्य की मांग की गयी । तत्पश्चात् विभागीय कार्यवाही का विधिमान्य बिन्दु पर विधि विभाग द्वारा मंतव्य दिया गया है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के परन्तुक ए (ii) के संबंध में चार वर्ष की गणना घटना की जानकारी की तिथि से नहीं बल्कि घटना की तिथि से होगी ।

उपर्युक्त परिपत्र एवं इस पर विधि विभाग से प्राप्त परामर्श/मंतव्य से अपर विभागीय जांच आयुक्त को अवगत कराया गया, जिकसे आलोक में अपर विभागीय जांच आयुक्त की अभ्युक्ति ''तत्काल विभागीय कार्यवाही चलाने योग्य नहीं'' के सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा श्री जमशेद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है ।

2. इस पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, वाणिज्य–कर–आयुक्त–सह–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 12—571+20-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in